राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

(वेबसाईटः www.rajuvas.ac.in)

क्रमांक एफ ( )/सीवीएएस/ए.एच.डी.पी./प्रवेश/2025–26/ दिनांकः–15.11.2025

पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2025–26 प्रवेश सूचना

राजस्थान प्रदेश में पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों में संचालित पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम **सत्र 2025–26** में **प्रवेश** हेतु राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा **दिंनाक 17.11.2025 से ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु आवेदन फार्म आमंत्रित किए जा रहे हैं।** आवेदन हेतु पात्रता/योग्यता की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार है।

आवेदन फार्म की उपलब्धता	आवेदन फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rajuvas.ac.in पर ऑनलाईन ही स्वीकार किये जावेगें। किसी अन्य तरीके से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
पाठ्यक्रम की अवधि	**दो वर्ष 6 माह** (पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी **''डिप्लोमा संस्थान की स्थापना/संचालन हेतु संशोधित विभागीय प्रकिया/दिशा–निर्देश–निति–2025''** के क्रम में पशुपालन डिप्लोमा कोर्स वर्क 2 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय पशुचिकित्सालय/प्रथम श्रेणी पशुचिकित्सालयों में 6 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा)
शैक्षणिक योग्यता	विधि द्वारा स्थापित वैधानिक एवं मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित सिनियर सेकेण्डरी (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान या कृषि संकाय विषय (with Biology/Agri.Biology/Agri. Zoology & Agri. Botany/Zoology & Botany as one of the optional subjects) के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रवेश इसी परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर होगा। वैधानिक बोर्ड की सूची एवं सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की समकक्षता निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है। (1) भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्ड़ल (www.cobse.org) (2) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड़, राजस्थान, अजमेर। अन्य किसी अवैधानिक, स्वंय या किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह या किसी ट्रस्ट या अन्य किसी भी आधार पर स्थापित बोर्ड़ मान्य नहीं होगें।
आयु	अभ्यर्थी की आयु 31 दिसम्बर 2025 को न्यूनतम 17 वर्ष अथवा अधिक होनी चाहिये। (सेकेण्डरी परीक्षा की अंकतालिका/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही इस उद्देश्य के लिए प्रामाणिक माना जायेगा)
प्रवेश हेतु पात्रता	• **राज्य कोटे की सीटों** पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। • **प्रबंधन कोटे की सीटों** पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
आरक्षण	• अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण निति के नियमानुयार प्रदेय होगा। • राजकीय पशुपालन संस्थानों में प्रत्येक संस्थान में 5 सीट पशुधन परिचर के पद पर कार्यरत विभागीय कर्मियों हेतु आरक्षित है।
अध्ययन का माध्यम	पशुपालन डिप्लोमा पाठयक्रम हिन्दी अथवा अंग्रेजी माध्यम में संचालित होगा। इसका निर्णय संस्थान द्वारा किया जा सकेगा।
शिक्षण शुल्क	पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2025–26 हेतु **राज्य कोटे की सीटों** पर संस्थावार शिक्षण शुल्क की सूचना वेबसाइट www.rajuvas.org पर उपलब्ध है। वार्षिक शिक्षण शुल्क एक किश्त में देय होगा।
चयन प्रक्रिया	पशुपालन डिप्लोमा पाठयक्रम मे संस्थान आवंटन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रकिया में छात्र द्वारा भरे गये आवेदन फार्म में सिनियर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार, संस्थान चयन वरीयता क्रम, एवं आरक्षण प्रावधानों के आधार पर होगा।
आवेदन शुल्क	ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने की सभी आवेदक श्रेणीयों का शुल्क 1500 रूपये (एक हजार पांच सौ रूपये) है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाईन भुगतान हेतु अभ्यर्थी अपने या अपने परिवारजन के खाते से ही आवेदन शुल्क भरें।
अन्य जानकारी	पाठ्यक्रम सबंधी विस्तृत जानकारी तथा आवश्यक दिशानिर्देश हेतु विश्वविद्यालय वेबसाईट www.rajuvas.org पर नियमित रूप से अवलोकन करते रहे। उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु राजुवास हेल्प लाइन नम्बर 18001806224 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
अंतिम दिनांक	ऑनलाईन आवेदन भरने की **अंतिम दिंनाक 01.12.2025 सांय 05.00 बजे तक** है।

चेयरमेन एडमीशन बोर्ड, (ए.एच.डी.पी.)

पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2025–26 मे आवेदन संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

1. आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर दी गई आवेदन प्रकिया को पढने के पश्चात् सावधानी पूर्वक आवेदन पत्र भरें, । त्रुटिपूर्वक / अधूरे भरे आवेदन फार्म अथवा अंतिम दिनांक 01.12.2025 के पश्चात आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किए जायेगें।

2. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अतिंम दिंनाक तक सुधार / परिवर्तन कर सकता है। अतिंम दिंनाक के पश्चात् आवेदन पत्र में सुधार नहीं किया जा सकेगा तथा आवेदन पत्र दोबारा नही भरा जा सकेगा।

3. अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपके पासवर्ड को साझा करने से किसी और द्वारा उसका दुरुपयोग हो सकता है, आपके पासवर्ड भूल जाने / उसके दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

4. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपने पसन्द के संस्थान के आगे दिए गए कॉलम में चयन वरीयता भरे। उदाहरणार्थः यदि अभ्यर्थी राजकीय पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान, जामडोली, जयपुर को पहली वरीयता चयन करता है तो उक्त संस्थान के सामने के कॉलम में 1 लिखें। इसी प्रकार अभ्यर्थी द्वारा अन्य संस्थानों के सामने चयन वरीयता क्रम 1 से 94 तक भरा जा सकता है।

5. अभ्यर्थी जितनी भी चाहे अपनी संस्थान चयन वरीयता भर सकता है यदि आपके द्वारा कोई विकल्प नही भरा जाता है। तो आपको आंवटन प्रकिया में शामिल नही किया जावेगा

6. आवेदन में गलत सूचना देने पर आवेदन / प्रवेश निरस्त होने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

7. आवेदक को पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र व समस्त योग्यता व अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो सेट सत्यापित छायाप्रति सीट आवंटन पश्चात् सम्बन्धित संस्थान में रिर्पोटिग के समय सत्यापन हेतु जमा करवाने आवश्यक होगें।

8. आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जा सकेगा।

9. **निजी संस्थानों में प्रबंधन कोटे की 15% सीट पर संबंधित संस्थान द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। जिसके लिए संस्थान द्वारा पृथक से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।**

चेयरमेन एडमीशन बोर्ड, (ए.एच.डी.पी.)